भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3610

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

पीएमएजीवाई के लिए प्रस्तावित बजट

3610. श्री दर्शन सिंह चौधरीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की क्या करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के अंतर्गत किन योजनाओं के अधीन गांवों को अतिरिक्त लाभ मिलता है;

(ख) पीएमएजीवाई के लिए कितना बजट प्रस्तावित है;

(ग) क्या पीएमएजीवाई के लिए आबंटित बजट के लक्ष्य को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की पूर्ववर्ती योजना को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। पीएम-अजय योजना के दिशा-निर्देशों के अलावा, चिन्हित गांव को अतिरिक्त निधि आवंटन प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

पीएम-अजय योजना के आदर्श ग्राम घटक को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि 10 क्षेत्रों अर्थात् पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, समाज सुरक्षा, ग्रामीण सड़क और आवास, बिजली और स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियां, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण, आजीविका और कौशल विकास के अंतर्गत 50 सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक संकेतकों को परिपूर्ण किया जा सके।

(ख): पीएम-अजय योजना का कुल परिव्यय 10,200 करोड़ रुपये है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आदर्श ग्राम घटक के लिए निधि आवंटन कुल आवंटित निधि का 50% तक है।

(ग) और (घ): वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****